

ई-केवाईसी से होगी 100 करोड़ मोबाइल ग्राहकों की पहचान

आधार आधारित ई-केवाईसी के जरिए मोबाइल कनेक्शन देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की उस योजना को हरी झंडी दे दी, जिसके तहत एक वर्ष के भीतर ई-केवाईसी (नो योर कस्टमर) के जरिए 100 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित करने की योजना है।

साथ ही सरकार की ओर से शीर्ष अदालत को बताया गया कि अब आधार आधारित ई-केवाईसी के जरिए ही मोबाइल कनेक्शन देने

की योजना है। पीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि मोबाइल सिम का दुरुपयोग न हो इसलिए सरकार की ओर से यह पहल की जा रही है। 90% से अधिक प्री-पेड ग्राहक हैं। इन ग्राहकों को समय-समय पर रिचार्ज कराना होता है। ऐसे में योजना है कि रिचार्ज कराने से पहले उपभोक्ताओं की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। सरकार के प्रयासों से संतुष्ट होकर पीठ ने लोक नीति फाउंडेशन नामक गैर



सरकारी संगठन द्वारा दायर याचिका का निपटारा कर दिया। पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता संगठन की ओर से

पेश वकील ने पीठ को बताया था कि शीर्ष अदालत के पूर्व निर्देशों के बावजूद 5% (करीब 5.25 करोड़) मोबाइल सिम धारक की

पहचान फर्जी या असत्यापित है। याचिका में कहा गया था कि फर्जी या असत्यापित सिम से देश की सुरक्षा को खतरा है। अपराधी और आतंकी इसका इस्तेमाल करते हैं।

हैदराबाद, मुंबई, जयपुर में हुए आतंकी हमलों में यह बात सामने आई थी कि इन वारदातों को अंजाम देने के लिए फर्जी या असत्यापित सिम का इस्तेमाल हुआ था। याचिका में कहा गया था कि सिम कार्ड जारी करने के लिए 'आधार कार्ड' को अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए।

6 माह से ई-केवाईसी से मिल रहा सिम

नई दिल्ली। सरकार ने करीब छह माह पहले ही नए मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार ई-केवाईसी की अनुमति दे दी थी। इसके जरिए उपभोक्ता आधार कार्ड का इस्तेमाल कर तुरंत ऐक्टिवेशन के साथ मोबाइल कनेक्शन ले रहे हैं। अब प्रीपेड या पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन के लिए अनेक तरह के कागजी दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ती। आधार कार्ड नंबर एवं फिंगरप्रिंट से ही काम हो

जाता है। ई-केवाईसी में ग्राहक अपनी आधार संख्या एवं बायोमेट्रिक्स के जरिए यूआईडीएआई को अपना व्योरा (नाम, पता, जन्म तिथि और लिंग के साथ-साथ डिजिटली साइड फोटोग्राफ) मोबाइल कंपनी को उपलब्ध कराने का अधिकार देता है।